बीस रुपये TWENTY RUPEES

255

न्यायालय समक्ष माननीय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश, ग्वालियर म०प्र०

=============================================

निगरानी क्र०- R 2183-III/14 सन्-2013-14

श्रीमती सारिका सोनी पत्नी श्री देवीशरण सोनी

निवासी ग्राम बमीठा तह०राजनगर जिला छतरपुरम०प्र० ..निगरानीकर्ता

बनाम

1-अजय मिश्रा तनयश्री रामराज मिश्रा

निवासी पन्ना रोडबमीठा तह० राजनगर जिला छतरपुर म०प्र०

2- श्रीमती भारती पत्नी राम दयाल मिश्रा

निवासी सेवा ग्राम खजुराहो तह० राजनगर

जिला छतरपुर म०प्र०

3- म०प्र० शासन .. .. अनावेदकगण

यह निगरानी न्यायालयअनुविभागीय अधिकारी तहसील राजनगर द्वारा प्र०क्र०-87/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक-08.07.14 के विरुद्ध म०प्र०भू राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

=====================================

द्वारा आज दि. 21.7.14 को प्रस्तुत 21.7.14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करती है :-

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार हैकि ख०न०-1451/2/1 रकबा 6.070हे० स्थित ग्राम पीरा पूर्व में शिव प्रसाद तनय सूरज गौडा निवासी कल्याणपुर जिला पन्ना के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि थी जो उसे शासन से प्राप्त हुई थी , उक्त शिव प्रसाद गौड ने न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के समक्ष उक्त भूमि में से रकबा 4.000 हे० भूमि विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- **निगरानी-2183- तीन/2014**

**श्रीमती सारिका सोनी विरूद्ध अजय मिश्रा आदि**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 11-01-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 87/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 08-07-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 21-07-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।<br>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –<br>''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।''<br>4. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-छतरपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया | |

जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

11.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य